केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं.145/टीएल/2022 दिनांक: 3.8.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

आवेदक, वरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110 021 पर स्थित है, द्वारा निम्नलिखित घटक को शामिल करते हुए विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड (इसके बाद "पारेषण योजना" के रूप में उल्लिखित) पर "765 केवी वारंगल न्यू पर 80 एमवीएआर रिएक्टर" के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति के अनुदान हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है:

पारेषण योजना का क्षेत्र	क्षमता	कार्यान्वयन की समय–सीमा
प्रचालन आवश्यकता के अनुसार स्पेयर रिएक्टर यूनिटों को सेवा में लेने के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ 765 केवी वारंगल न्यू पर 80 एमवीएआर रिएक्टर का एक स्पेयर यूनिट (1–पीएच)	80 एमवीएआर (1–पीएच)	सीटीयू द्वारा ओएम के जारी किए जाने से 15 मास

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 16.11.2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को निश्चित करने के साथ आरटीएम मोड पर विषय पारेषण योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया और इसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीटी को भी व्याख्यायित किया।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 4.5.2022 के अपने पत्र द्वारा उपर्युक्त पैरा–1 में यथोल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण के निष्पादन हेतु डब्ल्यूकेटीएल को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 145/टीएल/2022 में दिनांक 2.8.2022 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित विनियमित टैरिफ तंत्र पर पारेषण योजना हेतु याचिकाकर्ता को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।

5. वरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.adanitransmission.com** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 26.8.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा सम्यक अनुक्रम में आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव